कार्यालय प्रमुख अभियंता
म.प्र. लोक निर्माण विभाग, सतपुड़ा भवन, द्वितीय तल भोपाल
website : www.mppwd.gov.in, email pwdbhop@mp.nic.in
Phone - 0755 - 2551485, Fax – 2556527

क्रमांक /402/सा/016/पंजी/2011/4625 भोपाल दिनांक 28/03/2013

समस्त मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग
..................परिक्षेत्र
मध्य प्रदेश।

विषयः– निविदा प्रकरणों के साथ संलग्न की जाने वाली चेक–लिस्ट मे पूर्ण जानकारी प्रेषित करने विषयक

सदर्भः– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 402/सा.016/पंजी/2011/2896 भोपाल दिनांक 23/10/2012

निविदा प्रकरणों के साथ संलग्न की जाने वाली चेक–लिस्ट में पूर्ण जानकारी प्रेषित करने विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। यह पाया गया है कि कुछ परिक्षेत्रों से अभी भी चेक–लिस्ट में अपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है जिसके कारण निविदाओं के निराकरण में अनावश्यक विलम्ब होता है। मुख्य अभियंताओं से प्राप्त होने वाली चेक लिस्ट में सामान्यतः निम्नानुसार कमियां पाई जा रही हैः–

1/ निविदा प्रकरणों के साथ कई प्रकरणों में एक ही समाचार पत्र की छाया प्रति संलग्न की जा रही है।निविदा प्रकरणों के साथ सभी समाचार पत्रों की छाया प्रतियां संलग्न की जाय, जिसमें निविदा विज्ञप्ति छपी हो। कार्यपालन यंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि निविदा विज्ञप्ति का प्रकाशन जिस जी–स्लिप में दर्शाया गया है, यथासमय प्रकाशित हो गया था।

2/ निविदा प्रकरणों के साथ धरोहर राशि के सत्यापन सुनिश्चित किया जायें। बिना धरोहर राशि सत्यापन के निविदा प्रकरण प्रेषित नहीं किया जाय।

3/ विभाग में उन्हीं ठेकेदारों की निविदाओं पर विचार किया जा सकता है जिनके पास वैध पंजीयन उपलब्ध है, अतः ठेकेदार की निविदा खोलने के पूर्व तथा ठेकेदार से अनुबंध संपादन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि ठेकेदार का पंजीयन वैध है।

4/ सामान्यतः समान परिस्थितियों में समान प्रकृति के स्वीकृत कार्यों का उल्लेख चेक लिस्ट में नहीं किया जा रहा है जिसके कारण निविदाओं के निराकरण में विलम्ब होता है। यदि उस संभाग में समान परिस्थितियों में समान प्रकृति का कोई कार्य स्वीकृत न किया गया हो तब संभाग से संबंधित मण्डल अथवा परिक्षेत्र में समान परिस्थितियों में समान प्रकृति के समान कार्यों हेतु स्वीकृत निविदा दरों का उल्लेख किया जाय ताकि निविदा दरों के रूझान के संबंध में जानकारी प्राप्त हो

सके।यदि निविदा दर पूर्व में स्वीकृत दरों से अधिक हो तो दरों के औचित्य के संबंध में विस्तृत दर विश्लेषण तैयार कर प्रस्तुत किया जावे।

5/ चेक लिस्ट के समस्त बिंदुओं में जानकारी दी जाना अनिवार्य है। यदि किसी बिंदु के संबंध में जानकारी शून्य है तब भी उसमें निरंक अंकित किया जाय तथा उसे खाली न छोड़ा जाय।

6/ जो निविदायें ठेकेदार की Risk & Cost पर आमंत्रित की जाती है; उनमें दोषी ठेकेदार के विरूद्ध की गई कार्यवाही, दोषी ठेकेदार से वसूली जाने वाली राशि, वर्तमान एस.ओ.आर. पर कार्य की लागत एवं दोषी ठेकेदार से वसूली योग्य राशि की गणना करके निविदा प्रकरण के साथ आवश्यक रूप से प्रेषित की जाय। 7/ बिंदु कमांक 19 में निविदा निराकरण की समय सीमा पालन की दिनांक दर्शाई नहीं जाती है, जिसे दर्शाया जाना सुनिश्चित करें।

8/ बिंदु कमांक 6 में निविदा ऑफर की वैधता तिथि स्पष्ट नहीं की जाती। वैधता तिथि की दिनांक दर्शायी जाना सुनिश्चित करें।

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र की प्रति पुनः संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिंदुओं का विशेष ध्यान रखते हुए निविदा प्रकरण इस कार्यालय में प्रेषित किया जाय ताकि प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जा सके।

सहपत्रः— उपरोक्तानुसार।

प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,म.प्र.
भोपाल।

पृ0क्रमांक/402/सा/016/पंजी/2011/4630 भोपाल,दिनाक 23/03/13

प्रतिलिपिः—

1/ प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3/ समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, ...मंडल।
4/ कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, ... संभाग,
की ओर आवश्यक आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,म.प्र.
भोपाल।